राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	835/2024 [illegible] बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 13 ने लिखित बहस पेश की, जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुये उनकी मौखिक बहस सुने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने मौखिक बहस सुने जाने का निवेदन किया। अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर	
04/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया तत्पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा.13/रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 02/08/2024 पारित करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 13 की और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी गोवर्धन व बालू पुत्रान हरला कौम माली के नाम थी। जिसके 1/2 भाग की सहखातेदारी गोवर्धन के नाम व 1/2 भाग बालू के नाम थी। स्व. गोवधन पुत्र हरला ने वादग्रस्त आराजी 78 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम [illegible]लाई तहसील चाकसू में स्थित भूमि को दिनांक 21/07/1960 को एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कल्याण पुत्र चौथू के नाम एवं द्वितीय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] व रामपाल पुत्र चौथू व गोपाल पुत्र कल्याण जाति माली के नाम सम्पूर्ण भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बैचान कर दिया। स्व. गोवर्धन को केवल 1/2 भाग विवादग्रस्त भूमि में 1/2 भाग की खातेदारी अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 14 लगा. 17 के नानाजी(पूर्वहक्र अधिकारी) स्व. बालू पुत्र हरला की सहखातेदारी की भूमि थी, जिसके सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमे रेस्पो. संख्या 1 लगा. 13 की ओर से दावे का जवाब पेश नही कर सीधे ही एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेशकर दिया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोविन्दराम बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुये वादी का वाद गलत रूप से ख़ारिज फरमा दिया गया | जबकि कानूनन पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार प्राप्त है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों एवं क़ानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर जटिलता बढ़ रही है एवं अपीलार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो रही है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुये मौखिक बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी को आदेश 41 नियम 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक था परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा/स्थगन पेश किया गया है, जो कानूनन त्रुटीपूर्ण होने से ख़ारिज किया जावे | कजोडी की मृत्यु दिनांक 22/03/2004 को हुई है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/07/1960 का है | दिनांक 21/07/1960 से प्रश्नगत भूमि रेस्पो. की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी यथास्थिति का आदेश प्रदान किया जाता है तो रेस्पो. को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में यह भी निवेदन क्या कि 9 सितम्बर 2005 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में एमेंडमेंट कर सेक्शन-6(परन्तुक) जोड़ा गया | अपीलार्थी गोविन्दराम की माताजी की मृत्यु दिनांक 22/03/2004 को अर्थात 9 सितम्बर 2005 से पूर्व हो गयी ठी, जिसके आधार पर अपीलार्थी को कानूनन कोई अधिकार ही सृजित नही होते है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का एवं कानून का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही होने से एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ख़ारिज फरमायी जावे |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने रिब्टल बहस में निवेदन किया कि घोषणा का दावा कानूनन कभी भी लाया जा सकता है एवं अपीलार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सही रूप से पेश किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी नही है| .

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन वाद घोषणा का है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा के वाद को साक्ष्य-

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

...25 को पेश हो। रेस्पो. सं.01,02,

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोविन्दराम बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सबूत प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन घोषणा के वाद को ख़ारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02/08/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर, तनकीयात कायम करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीवार विस्तृत विवेचन कर वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर